तेलंगाना रैली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह

10वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया

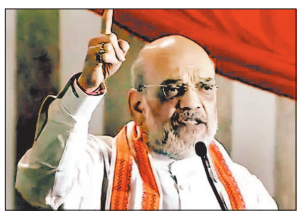

पीएम ने देश को दी स्थिरता

सिकंदराबाद, 12 मार्च. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिकंदराबाद में एक जनसभा रैली को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि इन 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने आया राम, गया राम की राजनीति खत्म करके देश को राजनीतिक स्थिरता दी है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आया राम, गया राम की राजनीति को समाप्त कर एकछत्र नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार चलाई है.

इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है. उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस पर लाखों-करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. लेकिन पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, यहां तक कि उनके खिलाफ 25 पैसे का भी आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सके हैं. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के कारण राम मंदिर मुद्दे को 70 साल तक लटकाया और प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही. लेकिन कांग्रेस ने मंदिर नहीं बनाया और जब इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया, तो वोट बैंक की लालच में इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया.

जनता तय करेगी किस पर भरोसा करना है-गृह मंत्री ने कहा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही एलान किया जाएगा. अप्रैल और मई में भारत की जनता तय करेगी कि उन्हें अगले 5 साल के लिए किस पर भरोसा करना है. इस दौर में सोशल मीडिया भी उतना ही जरूरी है जितना घर-घर जाना. भारत की जनता ने मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए मन बना लिया है.

अचानक इजरायल पहुंचे डोभाल, पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की

यरूशलम, 12 मार्च. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर भीषण खाद्य संकट से जूझ रहे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की. इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल

से 'एक्स' पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया, 'प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में जारी युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी.'

हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर सात अक्टूबर, 2023 को हमला कर दिया था जिसमें करीब 1,200 लोगों की मौत हो गई थी.

आज का इतिहास

1560 - स्पेन की नौसेना ने त्रिपोली के डीजेरबा पर कब्जा किया.
1774 - भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया.
1800 - मराठा राजनेता नाना फडनवीस का निधन.
1881 - रूस के सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या.
1899 - आंध्र प्रदेश के राजनैतिक नेता बुर्गुला रामकृष्ण राव का जन्म.
1921 - मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल की थी.
1940 - भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाईं.
1963 - खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार की घोषणा.
1996 - हिन्दी फिल्मों के अभिनेता शफी ईनामदार का निधन.
1980 - भाजपा सांसद और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का जन्म.
2004 - भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खाँ का निधन.
2008 - नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर सकुशल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचा.

JANA SMALL FINANCE BANK (A scheduled commercial bank)

रजिस्टर्ड आफिस :- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक को दी गई अचल संपत्तियों की बिक्री। (सरफेसी अधिनियम)

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने स्क्रश्वश्वस्ड्ड अधिनियम के तहत अनुसूची संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। मेसर्स जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति बेचने के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामियां आयोजित की थीं, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण वे असफल रहीं। इसलिए कृपया सूचित रहें कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा, जैसा कि कहा गया है नीचे।

बड़े पैमाने पर जनता को सूचित कि या जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' शर्तों के अनुसार।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफलता पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि का 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बैंक द्वारा खरीद का प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई भी दावा करने का हकदार क्रेता नहीं होगा।
7. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. एक से अधिक ऑफर के मामले में, बैंक उच्चतम ऑफर स्वीकार करेगा।
9. इच्छुक पार्टियां अधिक विवरण/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।
10. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया वहन करना होगा।
11. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची

क्र	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं का नाम	सरफेसी अधिनियम के तहत 13(2) डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	निजी संधि के लिए आरक्षित मूल्य	सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण
1	45539420000516	1) श्री करण पंजवानी पुत्र प्रभुदास पंजवानी	रु. 12,46,381.60 (रु. बारह लाख छियालीस हजार तीन सौ इक्यासी व साठ पैसा मात्र) 04.08.2022 को	रु. 6,20,000/- (रुपये छह लाख बास हजार मात्र)	**वह** सब आर.सी.सी. 'सक्षम-1' नाम और स्टाइल वाली बहुमंजिला इमारत में, दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 203 का सुपर स्ट्रक्चर, 680 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र को कवर करता है, जो प्लॉट नंबर एम-7 पर निर्मित है। श्री कृष्णा पैराडाइज़ कॉलोनी, ग्राम राऊ, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.)। द्वारा घिरा- पूर्व द्वारा- फ्लैट नंबर 201, पश्चिम द्वारा- फ्लैट नंबर 205, उत्तर द्वारा- अन्य भूमि और दक्षिण द्वारा- सामान्य मार्ग।

उपरोक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का ध्यान ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों के मोचन के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके।

पत्राचार पता- श्री अजय नाइक (मो. नं. 9960948687), ईमेल- Ajay.Naik02@janabank.com और श्री प्रशांत यादव (मो. नं. 9200010006), ईमेल-Prashant.Yadav@janabank.com। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (जिसे पहले मेसर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), का शाखा कार्यालय यहां है- प्लॉट नंबर 306ए, स्कीम नंबर 54, पीयू-4, कंट्री इन होटल के पास, मेन एबी रोड, विजय नगर, इंदौर-452001।

दिनांक- 13.03.2024, स्थान- इंदौर | एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट ऑफ : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051. रजि. ऑफिस : मेघ टॉवर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई - 600 095. तमिलनाडु

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियां (सुरक्षित संपत्ति) सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसका कब्जा ले लिया गया है **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (सिक्योर्ड क्रेडिटर)** के अधिकृत अधिकारी द्वारा, **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है'** पर बेचा जाएगा. **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)** के सुरक्षित लेनदार को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तारीख तक उस पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्चों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर, उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) का उल्लेख नीचे किया गया है.
आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि का भी नीचे उल्लेख किया गया है :-

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण)	रिजर्व मूल्य (रु.) / अर्नेस्ट मनी जमा (रु.)	ई नीलामी तिथि की तिथि	ईएमडी जमा तिथि
01	**लैन- 601607210287435** (1) ऋतुराज दीक्षित पुत्र ओमप्रकाश दीक्षित (2) पूनम दीक्षित (3) मे. माँ मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स	स्टार एवेन्यू ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 302 की जमीन का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, सर्वे नंबर 270/2 पाइकी न्यू नंबर 270/2/2 ग्राम मुंडला तहसील और जिला इंदौर मध्य प्रदेश स्थित है निर्मित क्षेत्र 860 वर्ग फुट. सीमाएं:- पूर्व:- फ्लैट नंबर 301, पश्चिम:- फ्लैट नंबर 303 के बाद खुला स्थान, उत्तर:- ब्लॉक-ए के बाद खुला स्थान, दक्षिण:- खुले स्थान के बाद सामान्य मार्ग।	9,15,000/- / 91,500/-	28.03.2024 11.00 a.m से 01.00 pm	27.03.2024

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक वेबसाइट पते (https://disposalhub.com और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी दिए गए हैं. **इच्छुक बोलीदाता विनय राठौर से उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं- नंबर 9827121084, ई-मेल: vinay.rathour@grihashakti.com और सुशील पाटिल मोबाइल नं. 8828888998 ई मेल- Sushil.Patil1@Grihashakti.com.**

स्थान : इंदौर, मध्य प्रदेश
दिनांक : 13.03.2024

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

idA

इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY
जहां निरन्तर विकास ही लक्ष्य है

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक: 60/ई.टी./2023-24 | दिनांक: 12.03.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण प्राधिकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर क्रय किए जा सकते हैं।

अ. क्र.	पोर्टल टेंडर क्र. व दिनांक	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (रुपए में)	अर्नेस्टमनी (रुपए में)	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक (सायं 5.30 तक)
1.	2024_DTCP_344329-1 12-03-2024	REPAIRING AND 3 YEARS MAINTENANCE OF TUBEWELL PUMP WORK AT SCHEME NO. 155 AT INDORE	6,28,289/-	12,566/-	20.03.2024
2.	2024_DTCP_344537-1 12-03-2024	DISIGN AND CONSTRUCTION OF FLYOVER AND ALLIED WORKS AT BADA GANPATI SQUARE IN THE INDORE CITY	23,45,89,360/-	11,72,947/-	22.04.2024

नोट:- निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल विभागीय वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर ही अपलोड किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर

JANA SMALL FINANCE BANK (A scheduled commercial bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6)व 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें.

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	4552940000289	1) श्री नितिन जसोदिया पुत्र रामस्वरूप 2) श्रीमती नवल पत्नी नितिन जसोदिया 3) श्री रामस्पवरूप जसोदिया पुत्र ब्रजलाल	11.07.2022	29.12.2023	रु. 11,74,274/- (रु. ग्यारह लाख चौहत्तर हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) 03.03.2024	16.03.2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 16,54,000/- (रु. सौलह लाख चौवन हजार मात्र)	रु. 1,65,400/- (रु. एक लाख पैसठ हजार चार सौ मात्र)	16.04.2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	15.04.2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्माल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 306-ए, पीयू 4, स्कीम नं. 54, नियर कंट्री इन होटल, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर- 452010
	संपत्ति विवरण अनुसूची- मकान नंबर 53 स्ट्रीट नंबर 2 की भूमि के टुकड़े और पार्सल पर, आरसीसी निर्माण के साथ 450 वर्ग फुट (41.82 वर्गमीटर) की कुल भूमि, परदशीपुरा, वार्ड नंबर 23 में स्थित है। तह और जिला इंदौर (एमपी)। सीमा से घिरा- पूर्व से- सुखराम के ब्लॉक से, पश्चिम से- लक्ष्मण के ब्लॉक से, उत्तर से- बैक लेन से और दक्षिण से- सड़क से									

सम्पतियां 'जैसी है जहां है तथा जैसी है जो है तथा ई-नीलामी 'ऑन लाइन' के आधार पर आयोजित की जा रही है। उक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएंगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से आयोजित की जाएगी वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीकर्ता से संपर्क कर सकते हैं M/S 4 क्लोजर; संपर्क श्री भास्कर नायडू संपर्क नंबर- 8142000809/8142000061 ईमेल आईडी info@bankauctions.in/subbarao@bankauctions.in। ई-नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति की दलीलों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए जन लघु वित्त बैंक के अधिकारियों श्री अजय नाइक (मोब नंबर 9960948687) और श्री प्रशांत यादव (मोबाइल नं 9200010006) से संपर्क कर सकते.
प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के लिए, संपत्तियों पर कोई भार नहीं हैं। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले बाधाओं, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह ऊपर नामित कर्जदारों / गारंटरों / गिरवी रखने वालों के लिए भी एक नोटिस है, जो बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में है। कर्जदार / गारंटर / बन्धककर्ता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ करें नीलामी की तारीख से पहले, असफल होने पर संपत्ति को बेच दिया जाएगा और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक 13.03.2024, स्थान- इंदौर | ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक: एफ/विद्युत/2024/1372 | नागदा, दिनांक: 12.03.2024

-: निविदा आमंत्रण :-

एतद् द्वारा समस्त शासकीय विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संविदाकारों को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत निम्न कार्य की निविदा https://www.mptenders.gov.in/ पर (ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत) जारी की गई है। अधिक जानकारी निर्धारित वेबसाइट अथवा कार्यालय की संबंधित शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

टेंडर क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	टेंडर फार्म	टेंडर क्रय अंतिम तिथि
2024_UAD_344311_1	Purchase of Eletric Material for Financial Year 2024-25	35,00,000/-	26,250/-	5,000/-	12/04/2024

अतः सूचित हो।

(श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत) अध्यक्ष | (सुभाषचंद्र शर्मा) उपाध्यक्ष | (श्रीमती भावना सुभाष रावल) लो.नि.वि सभापति | (मुख्य न.पा. अधिकारी) नगर पालिका परिषद्, नागदा

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

एफआरआर डिपार्टमेंट : 11वीं तल, टॉवर 1, वन इंडियाबुल्स सेंटर 841 सेनापति बापट मार्ग, एलफिन्सटोन रोड, मुम्बई-400 013

सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना की प्रतिस्थापित सेवा।

एतद् द्वारा नीचे उल्लेखित उधारकर्ता को सूचित किया जाता है, कि चूंकि वे इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक गए हैं, इसलिए उनके ऋण खातों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की पुस्तकों में **09-सितम्बर-2023** को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तत्पश्चात् बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उक्त उल्लेखित उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर दिनांक **27-फरवरी-2024** को मांग सूचना जारी कर संपूर्ण बकाया **रुपये 3,02,77,739.72 (रुपये तीन करोड़ दो लाख सत्ततर हजार सात सौ उनचालिस एवं बहोत्तर पैसा मात्र)** के साथ-साथ उक्त मांग सूचनाओं में उल्लेखित उपरोक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दर पर ब्याज के साथ चुकाने की मांग की थी। हालांकि, उधारकर्ताओं ने उक्त मांग सूचनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और इसलिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 (सरफैसी नियमों) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से हमारे द्वारा सूचित/तामील किया जा रहा है।

स.क्र.	ऋणी का नाम व पता
1	**गंगोत्री वायर रोप्स प्रा. लि. (ऋणी एवं बंधककर्ता), पता-** प्लाट नं. 32 एवं 33, राऊ इण्डस्ट्रीयल एरिया, इंदौर
2-4	**श्रीमती रजनी शर्मा (जमानतदार), श्री अनिल शिवकुमार शर्मा (जमानतदार) दोनों का पता-** फ्लेट नं.- 503, सांझी छत, खजराना चौराहा, रिंग रोड़, इंदौर- 452018 **श्री अंतिम पूनम चंद परख (जमानतदार और बंधककर्ता), पता-** प्लाट नं. 337, कालानी नगर, एरोड्रम रोड़, इंदौर- 452006

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण

संपार्श्विक:
संपत्ति क्रमांक 1: फ्लैट नं. 503, पाचवी मंजिल, सांझी छत, भूमि सर्वे नं. 85/1 एवं 852/1, खजराना जिला-इंदौर, म.प्र. स्थित संपत्ति।
संपत्ति क्रमांक 2: प्लॉट नं. 32 और 33/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया राऊ, तहसील एवं जिला-इंदौर। पूर्व : रोड़, पश्चिम: रोड़, उत्तर: प्लॉट नंबर 33/ए, दक्षिण: प्लॉट नंबर 31
संपत्ति क्रमांक 3: प्लॉट नं. 337, कालानी नगर, एरोड्रम रोड, जिला-इंदौर (मध्य प्रदेश) क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट पूर्व : बैकलेन, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 338, दक्षिण: प्लॉट नंबर 336.

हम एतद् द्वारा यह बताए गए उधारकर्ता से इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों के भीतर **रुपये 3,02,77,739.72 (रुपये तीन करोड़ दो लाख सत्ततर हजार सात सौ उनचालिस एवं बहोत्तर पैसा मात्र)** की बकाया राशि के साथ-साथ भविष्य के ब्याज के साथ लागत, शुल्क, व्यय आदि बकाया हमें भुगतान करने का आह्वान करते हैं, ऐसा न होने पर हमें प्रत्याभूत ब्याज को प्रवर्तीत करने के साथ-साथ प्रत्याभूत परिसंपत्ति का कब्जा लेने, लागत और परिणामों के रूप में आपके जोखिम पर पूरी तरह उसे बेचने की स्वतंत्रता होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के बिक्री, पट्टे या अन्यथा, के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफैसी अधिनियम की धारा 29 के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों और / या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान को लागू करेगा।
कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि आईबीएल के बकाए को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित दिनांक से पहले किसी भी समय आईबीएल को भुगतान की जाती है, तो प्रत्याभूत परिसंपत्ति को आईबीएल द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और उस प्रत्याभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आईबीएल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक: 13.03.2024 | **हस्ता/-**
स्थान: मुम्बई | **इंडसइंड बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी**

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

विजय नगर शाखा: स्कीम नं. 54, जीएफ-7, सिका स्कूल मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करके निम्न ऋणगृहिता/बंधककर्ता को दिनांक **01.01.2024** को सूचना प्रेषित करते हुए इस सूचना प्राप्ति के 60 दिन के अंदर ऋणराशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिता द्वारा उपरोक्त समय अवधि में ऋण अदायगी मे त्रुटी की है अत: ऋणगृहिता/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के अंर्तगत निम्न वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिता/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करे तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **इंडियन बैंक, विजय नगर शाखा, इन्दौर** के ऋणगृहिता के समक्ष वर्णित राशि के चार्ज के अधीन होगा। ऋणगृहिता का ध्यान प्रतिभूति अस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के उपबंधों की ओर आकृषित किया जाता है।

ऋणी का नाम	चल सपंत्ति और अचल संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस / कब्जा नोटिस की दिनांक	बकाया राशि (₹)
श्री दुष्यंत देशमुख (ऋणी एवं बंधककर्ता)	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट नं. 202, दूसरी मंजिल, याहवी ग्रीन्स, ब्लॉक-बी, प्लाट नं. 41, कंचन विहार कॉलोनी, ग्राम निरंजनपुर, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 124.16 वर्गमीटर (या 1336 वर्गफीट) सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल, चर्तु:सीमा: पूर्व:** प्लाट नं. 42, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 201, **उत्तर:** प्लाट नं. 34, **दक्षिण:** सड़क	01.01.24 / 12.03.24	**52,52,141.00** + ब्याज एवं अन्य खर्चे

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 13.03.2024 | **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

**क्षेत्रीय क